

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/स्थापना-2/ख/391/2686

भोपाल दिनांक 09/10/2023

प्रति,

1. संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय -समस्त
- 2- कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग -समस्त
- 3- भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मंडी समिति -समस्त

विषय:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किये जाने के संबंध में ।

-----o-o-o-----

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 09-10-2023 को म0 प्र0 विधान सभा 2023-24 की तिथियों की घोषणा की गई, उसी के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता का शब्दशः पालन किया व कराया जाना प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का प्राथमिक दायित्व है।

उपरोक्तानुसार आदर्श आचार संहिता के लागू होने की स्थिति से समस्त संबंधितों को अवगत कराया जाकर अनुपालन सुनिश्चित कराये ।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)


(चंद्रशेखर बशिष्ठ)

अपर संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/स्थापना-2/ख/391/2687

भोपाल दिनांक 09/10/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्री/उपयंत्री (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।


अपर संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल